टीका जानकारी विवरण

पोलियो का टीका

जानने योग्य तथ्य

टीकों के बारे में अधिक जानकारी स्पेनिश एवं अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है।
संदर्भ : www.immunize.org/vis

1. पोलियो टीकाकरण क्यों जरुरी है?

टीकाकरण पोलियो से सुरक्षा प्रदान करता है। पोलियो वाइरस जनित रोग है, यह मुख्यतः व्यक्ति से व्यक्ति के मध्य सम्पर्क से फैलता है। यह संक्रमित व्यक्ति के मल से संदूषित वस्तुओं, खाद्य एवं पेय पदार्थों के सेवन से भी फैल सकता है।

पोलियो से संक्रमित अधिकांश व्यक्ति लक्षणविहीन होते हैं तथा बिना किसी जटिलता के रिकवर या ठीक हो जाते हैं, किन्तु पोलियो से पीड़ित व्यक्ति, कभी-कभी लकवा (पैरालिसिस) से ग्रस्त हो सकते हैं, वे अपने हाथ-पैर हिलाने में असमर्थ हो जाते हैं, इस प्रकार पोलियो स्थायी विकलांगता का कारण बन सकता है। श्वसन की मांसपेशियों के लकवा के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है।

पूर्व में अमेरिका में भी पोलियो का काफी प्रकोप रहा है। सन् 1955 में पोलियो वैक्सीन के आविष्कार से पूर्व, पोलियो के कारण प्रतिवर्ष हजारों व्यक्ति लकवाग्रस्त एवं मृत्यु के शिकार हो जाते थे। अभी तक पोलियो संक्रमण का कोई सटीक उपचार नहीं है किन्तु टीकाकरण के द्वारा इससे बचाव संभव है।

अमेरिका में पोलियो का एलिमिनेशन (निरसन) किया जा चुका है तथापि विश्व के अनेक देशों में इसका प्रकोप अभी भी व्याप्त है। यदि हम सभी टीकाकरण के द्वारा सुरक्षित नहीं हैं तो विश्व के किसी भी कोने से संक्रमित व्यक्ति के माध्यम से रोग की पुनः वापसी हो सकती है। विश्व के सभी देशों से पोलियो के सफलतापूर्वक एलिमिनेशन के पश्चात हमें टीकाकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किन्तु उस स्थिति के आने तक, हमें हमारे बच्चों को पोलियो का टीका देना होगा।

2. पोलियो का टीका (पोलियो वैक्सीन)

निष्क्रिय या इनएक्टिवैटेड पोलियो वैक्सीन (आई.पी.वी.) के द्वारा पोलियो से बचाव किया जा सकता है।

- **बच्चे (चिल्ड्रन):**

अधिकांश व्यक्तियों को बाल्यावस्था में ही आई.पी.वी. प्राप्त हो जाना चाहिए। आई.पी.वी. की खुराकें सामान्यतः 2, 4, 6 से 18 माह और 4 से 6 वर्ष की आयु पर दी जाती हैं। संयुक्त टीके के तौर पर आई.पी.वी. अथवा अन्य देशों की यात्रा के दौरान प्राप्त आई.पी.वी. की खुराक के कारण कुछ बच्चों में समय अन्तराल अथवा शेड्यूल अलग भी हो सकता है। इस विषय में अधिक जानकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता (हेल्थ केअर प्रोवाइडर) से प्राप्त की जा सकती है।

- **वयस्क (एडल्ट):**

बचपन में ही पोलियो के विरुद्ध टीका लग जाने के कारण, अधिकांश वयस्कों को आई.पी.वी. की आवश्यकता नहीं होती है, तथापि कुछ व्यक्ति अधिक जोखिम वाले होते हैं जिन्हें पोलियो टीकाकरण की आवश्यकता पड़ सकती है। इनमें निहित हैं:-

- विश्व के कुछ निर्धारित देशों की यात्रा के समय, (यात्रियों को)
- पोलियो वाइरस के संचालन से संबंधित प्रयोगशाला कर्मी, एवं
- पोलियो के संभावित रोगियों के उपचार में लगे स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता

उपरोक्त अति जोखिम वाले व्यक्तियों को आई.पी.वी. की 1 से 3 खुराकों की आवश्यकता हो सकती है, जिनकी संख्या पूर्व में ली गई पोलियो खुराकों पर निर्भर करती है।

अन्य टीकों के साथ, आई.पी.वी. के प्रयोग पर किसी भी प्रकार की ज्ञात जोखिम नहीं है।

3. कुछ व्यक्तियों को यह टीका नहीं देना चाहिए

टीका देने वाले कर्मियों को निम्न जानकारी होनी चाहिए:

- **टीका प्राप्तकर्ता को किसी प्रकार की गंभीर, प्राणघातक एलर्जी होने पर:**

टीका प्राप्त करने वाले व्यक्ति को आई.पी.वी. की खुराक लेने के बाद प्राणघातक एलर्जिक रिएक्शन अथवा वैक्सीन के घटक से किसी भी गंभीर एलर्जी का इतिहास होने पर, उसे टीकाकरण की सलाह नहीं दी जाती है।

टीकों के घटकों के बारे में जानकारी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से प्राप्त की जा सकती है।

- **टीका प्राप्तकर्ता के अस्वस्थ होने पर:**

साधारण अस्वस्थता जैसे, हल्का जुकाम होने पर टीका दिया जा सकता है किन्तु अधिक या गंभीर अस्वस्थता की स्थिति में व्यक्ति के ठीक या रिकवर होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए।

इस विषय में चिकित्सक से परामर्श लिया जा सकता है।

4. टीका प्रतिक्रिया (वैक्सीन रिएक्शन) के खतरे

वैक्सीन सहित किसी भी औषधि के दुष्प्रभाव पाए जा सकते हैं, ये दुष्प्रभाव सामान्यतः हल्के किस्म के होते हैं तथा अपने आप समाप्त हो जाते हैं किन्तु कुछ प्रकरणों में गंभीर रिएक्शन भी हो सकते हैं।

आई.पी.वी. लगाने के बाद कुछ व्यक्तियों में शॉट स्थल पर घाव सा हो जाता है। किन्तु आई.पी.वी. लगाने के बाद किसी गंभीर समस्या होने की कोई जानकारी नहीं है एवं अधिकांश व्यक्तियों को इससे, कोई भी समस्या या परेशानी नहीं होती है।

U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention

- **टीके से होने वाली अन्य संभावित समस्याएं:**

कभी-कभी व्यक्ति टीकाकरण सहित किसी भी चिकित्सकीय प्रक्रिया के बाद मूर्च्छा ग्रस्त हो जाता है। लगभग 15 मिनट तक लेटने या बैठे रहने से मूर्च्छा एवं गिरने से कारित चोटों से बचा जा सकता है। स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता को चक्कर आने, दृष्टि में परिवर्तन या कानों में घंटियाँ सी बजने के बारे में बताना जरुरी है।

- कुछ व्यक्तियों को कंधे में दर्द हो सकता है जो कि इंजेक्शन लगाने के बाद होने वाले घाव या दर्द से अधिक गंभीर तथा लम्बी अवधि का हो सकता है, लेकिन यह यदा-कदा ही होता है।
- कोई भी औषधि गंभीर एलर्जिक रिएक्शन उत्पन्न कर सकती है। इस प्रकार के रिएक्शन, टीकों से अत्यन्त कम या अल्प ही होते हैं। एक अनुमान के अनुसार ऐसी संभावनाएं दस लाख केसों में से लगभग 1 है जो कि टीकाकरण के बाद, कुछ मिनटों से कुछ घंटों के अन्तराल पर घटित होती है।

किसी अन्य औषधि के समान, वैक्सीन से होने वाली दुर्घटना अथवा मृत्यु की अत्यन्त कम संभावना है।

टीकों की सुरक्षा, हमेशा मॉनिटर की जाती रहती है, देखें: www.cdc.gov/vaccinesafety/

5. गंभीर समस्या की स्थिति में निर्देश

- **स्वयं का अवलोकन करें:**

अपने शरीर से सरोकार रखने वाली प्रत्येक क्रिया पर नजर रखें। इनमें गंभीर एलर्जी रिएक्शन, बहुत तेज बुखार अथवा असामान्य व्यवहार आदि सम्मिलित हैं।

गंभीर एलर्जी रिएक्शन के लक्षणों में खराश, चेहरे एवं गले पर सूजन, श्वसन में कठिनाई, हृदय की धड़कनों का तेज होना, चक्कर आना एवं कमजोरी आना सम्मिलित हैं। यह समस्याएं टीकाकरण के बाद कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक प्रारम्भ हो सकती हैं।

- **कार्यवाही करें:**

गंभीर एलर्जिक रिएक्शन अथवा ऐसी आपात स्थिति जहां प्रतीक्षा करने का समय न हो, तत्काल 9-1-1 पर फोन करें अथवा तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचें, अन्यथा अपने डॉक्टर/क्लिनिक से सम्पर्क करें।

तत्पश्चात रिएक्शन की घटना को वैक्सीन एडवर्स ईवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम (VAERS) को रिपोर्ट करनी चाहिए। यह रिपोर्ट डॉक्टर को फाइल करनी चाहिए अथवा स्वयं भी वेअर्स (VAERS) की वेबसाइट (www.vaers.hhs.gov) के माध्यम से अथवा 1-800-822-7967 पर काल करके फाइल की जा सकती है।

(नोट : VAERS किसी भी प्रकार का चिकित्सा परामर्श नहीं देता है)

6. राष्ट्रीय टीका-दुर्घटना क्षतिपूर्ति कार्यक्रम

नेशनल वैक्सीन इंजरी कंपन्सेशन प्रोग्राम (VICP), एक संघीय कार्यक्रम है। इसके द्वारा उन व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है जिन्हें टीकों के कारण किसी प्रकार की क्षति या हानि पहुंचती है।

जिन व्यक्तियों का यह मानना है कि उन्हें किसी टीके के कारण कोई क्षति/हानि पहुंची है, वे कार्यक्रम के बारे में और क्षतिपूर्ति दावा करने के बारे में 1-800-338-2382 पर काल करके या वी.आई.सी.पी. की वेबसाइट (www.hrsa.gov/vaccinecompensation से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

क्षतिपूर्ति हेतु दावा (क्लेम) करने की समय सीमा निर्धारित है।

7. अधिक जानकारी हेतु स्त्रोत

- अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता (हेल्थ केयर प्रोवाइडर) से पूछताछ करें। उनके द्वारा आपको वैक्सीन पैकेज इंसर्ट मिल सकता है अथवा जानकारी के अन्य स्त्रोत प्राप्त हो सकते हैं।
- अपने स्थानीय या राज्य स्वास्थ्य विभाग को काल करें।
- रोग नियंत्रण एवं निवारण केन्द्र (CDC) से सम्पर्क करें।

\- 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) पर काल करें।

अथवा

\- सी.डी.सी. की वेबसाइट www.cdc.gov/vaccines पर विजिट करें।

Vaccine Information Statement

Polio Vaccine

Office Use Only

07/20/2016

Hindi

42 U.S.C. § 300aa-26

Translation provided by Avinash Bansal, MD, Keshav Swarnkar, Geeta Bansal, MD of Kota, India